किशनगढ (अजमेर

15/10/24

पत्रावली पेश हुई। वादी उप.। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया ओशा. मि। तहसीलदार किशनगढ़ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रकरण को रद्द करने की अभिशंषा की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण को खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:45:15 IST
Reason: SelfAttested

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ (अजमेर)

• राजस्व वाद संख्या 203/2024 उनवान राज. सरकार बनाम अनिल बाफना •

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशगनढ जिला अजमेर राज.।

—वादी

बनाम

1. अनिल बाफना पुत्र कालू सिंह बाफना जाति जैन निवासी अजमेर रोड किशनगढ अजमेर राज.।
2. श्रीमति राजकुमारी पत्नी श्री अनिल बाफना जाति ओसवाल निवासी अजमेर रोड किशनगढ अजमेर राज.।
3. उपपंजीयक किशगनढ , किशनगढ अजमेर राज.।

—प्रतिवादी

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. का. अधि. 1955

उपस्थित :— तहसीलदार किशनगढ एवं वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 15.10.2024

संक्षेप में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार किशनगढ की ओर से यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. का. अधि. 1955 के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसे दिनांक 04.09.2024 को बाद जांच रिपोर्ट करके दर्ज क्रमांक 203/2024 पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.09.2024 को प्रतिवादीगण के तामिलशुदा सम्मन प्राप्त हुये। दिनांक 08.10.2024 को प्रतिवादीगणों की ओर से वकील श्री पीयूष धाभाई उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण की शीघ्र सुनवाई करने बाबत का पेश किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा प्रकरण को नियत तिथी से पूर्व दिनांक 14.10.2024 में सुनवाई हेतु रखा गया तथा तहसीलदार किशनगढ को प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार किशनगढ द्वारा दिनांक 10.10.2024 को मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत भूमि ग्राम जोगियों का नाडा खसरा संख्या 537/76 वर्तमान में मौके पर रिक्त है तथा कृषि योग्य भूमि है तथा अभिशंषा की कि प्रकरण को रद्द किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:45:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

... आदेश ... भूमि की किस्म का परिवर्तन किया है, जिससे

दिनांक 15.10.2024 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जोगियों का नाडा खसरा संख्या 537/76 वर्तमान में मौके पर रिक्त है तथा कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद को खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा प्रकरण का तथा तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा संलग्न दस्तावेजात की अध्ययन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम जोगियों का नाडा खसरा संख्या 537/76 वर्तमान में मौके पर रिक्त है तथा कृषि योग्य भूमि है।

आदेश

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि कि प्रश्नगत भूमि ग्राम जोगियों का नाडा खसरा संख्या 537/76 वर्तमान में मौके पर रिक्त है तथा कृषि योग्य भूमि है, अतः प्रकरण को चलाने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी किशनगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:45:15 IST
Reason: SelfAttested